झारखण्ड सरकार

द्वितीय झारखण्ड विधान सभा के
सप्तम् (बजट) सत्र में
झारखण्ड के महामहिम राज्यपाल

श्री सैय्यद सिब्ते रज़ी

का

अभिभाषण

राँची, 2 मार्च, 2007

झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण !

मैं नये वर्ष 2007 में आयोजित द्वितीय झारखण्ड विधान सभा के सप्तम (बजट) सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। नये वर्ष के प्रथम सत्र में इस गरिमामय सदन को सम्बोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह हमारे लिये गौरव का विषय है कि हम सभी इस वर्ष प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगाँठ हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। इस वर्ष आजादी की 60वीं वर्षगाँठ भी मनायी जा रही है। मुझे आशा है कि राज्य की इस सबसे बड़ी पंचायत में आप झारखण्ड के चहुँमुखी विकास एवं जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने से संबंधित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर प्रदेश के विकास में अपना सक्रिय सहयोग देंगे।

2. राज्य में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन प्रदेश को सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करने, सामाजिक न्याय और सौहार्द्र स्थापित करने, राजनीतिक स्थिरता उपलब्ध कराने एवं समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया है। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार अल्प अवधि में ही जनता की आकांक्षाओं एवं आशाओं को पूरा कर रही है।

3. प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से परिपूर्ण झारखण्ड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। भारत के मानचित्र पर सशक्त राज्य के रूप में उभरता हुआ यह राज्य असीम संभावनाओं से परिपूर्ण है। मेरी सरकार द्वारा झारखण्ड की जनता को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार की यह भावना है कि प्रदेश का विकास शांति एवं सुरक्षा के वातावरण में ही संभव है। जब प्रदेश का हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करेगा, तभी आर्थिक गतिविधियाँ तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी, सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे के वातावरण में ही राज्य का चतुर्दिक विकास संभव हो सकेगा।

4. मेरी सरकार का मुख्य लक्ष्य है राज्य में अपराधमुक्त, भयमुक्त तथा अन्यायमुक्त समाज का निर्माण करना। सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है, किन्तु समाज के वैसे वर्ग जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के शिकार रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आते हैं, उनके हितों को विकास की नीति निर्धारण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अल्पसंख्यक समाज से संबंधित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी एवं बौद्ध का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। राज्य में जाति, धर्म एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के हितों का समुचित ध्यान रखा जा रहा है।

5. झारखण्ड खनिज सम्पदा की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है। कुल राष्ट्रीय खनिज सम्पदा का लगभग 37 प्रतिशत झारखण्ड के भूगर्भ में संचित है। प्रायः सभी महत्वपूर्ण खनिज यथा कोयला, लोहा, बॉक्साईट, तांबा, अभ्रक, ग्रेफाईट आदि का यहाँ प्रचुर भण्डार है। यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज मात्र झारखण्ड में ही उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सोना, चाँदी, हीरा जैसे बहुमूल्य खनिजों के साथ सजावटी एवं कीमती पत्थरों के उत्पादन की इस राज्य में अपार संभावनाएँ हैं।

6. राज्य गठन के पश्चात् लोहा, मैंगनीज, ग्रेफाईट, चूना पत्थर, ग्रेनाईट, पायरोक्साईट आदि मूल्यवान खनिजों के नए भण्डारों का पता लगाया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के लिए राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। देवघर तथा हजारीबाग जिलों में सजावटी ग्रेनाइट पत्थर का अन्वेषण प्रगति पर है, जबकि

सिमडेगा में हल्के गुलाबी रंग के सजावटी पत्थर के भण्डार की खोज की गई है। पलामू जिले में उच्च कोटि के ग्रेफाइट का पता चला है।

7. झारखण्ड राज्य के औद्योगिक विकास के लिए खनिज आधारित उद्योग लगाये जाने हेतु 700 से अधिक लघु खनिज के खनन पट्टे स्वीकृत किए गए हैं। स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहयोग समितियों के माध्यम से लघु खनिज के खनन पट्टों की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। बालूघाटों का प्रबंधन ग्राम समितियों को दिया जा रहा है। वृहद् खनिज के 41 खनन पट्टों की स्वीकृति दी गई है। कोल बेड मिथेन के तीन ब्लॉक ओ.एन.जी.सी. को आवंटित किए जा चुके हैं तथा दो ब्लॉक की स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। राज्य खनिज नीति के अनुरूप खनिज पट्टा देने में बड़े औद्योगिक निवेशकों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में कृषि एवं अन्य गैर कृषि औद्योगिक विकास हेतु माइक्रोफाइनेंसिंग चालू कर लोगों को स्वरोजगार एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु सरकार की योजना है। इससे राज्य में कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

8. रेशम उत्पादन में झारखण्ड अग्रणी राज्यों में से है। राज्य सरकार द्वारा रेशम खाद्य पौधे यथा – अर्जुन, साल आदि का वृक्षारोपण किया जा रहा है जिसमें लगभग 2.50 लाख मानव दिवस श्रम सृजित होंगे। कुचाई (सरायकेला–खरसांवा) में 304 लाख रु. की लागत से तसर विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। राज्य के बुनकरों को आर्थिक सहायता देकर मृतप्राय ढाँचागत व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि वे अपने परम्परागत पेशा को अपनाकर प्रतिष्ठा के साथ अपनी आजीविका चला सकें तथा राज्य के विकास में सहयोग कर सकें। इसमें सहयोग हेतु नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिजाइन (एन.आई.डी.), अहमदाबाद के सहयोग से भगैया (गोड्डा) में तसर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है।

9. राज्य में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र करने हेतु झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है जिसकी कुल शेयर पूँजी 50 करोड़ रु. होगी। वर्तमान में जिन कंपनियों के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई जिडको के स्तर से की जा रही है।

10. राज्य के युवाओं को स्व–नियोजन उपलब्ध कराने हेतु टूल्स एवं डाई मेकिंग आदि में प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से बोकारो, मेदिनीनगर (पलामू) एवं चाईबासा में मिनी टूल रूम स्थापित करने की योजना स्वीकृत की गई है। प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक तथा प्रत्येक अनुमंडल में आई.टी.आई. खोलने की सरकार की योजना है ताकि राज्य का युवा वर्ग तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वाबलम्बन एवं आत्मनिर्भरता हासिल कर सके।

11. विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं में विद्युत आपूर्ति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण में सुधार लाने हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है।

12. चालू वित्तीय वर्ष में तेनुघाट विद्युत निगम द्वारा ललपनिया ताप संयंत्र के प्लांट लोड फैक्टर में सुधार लाकर अब तक 2,233 मिलियन यूनिट से अधिक का रेकार्ड विद्युत उत्पादन किया गया है। सिकिदिरी पन बिजली संयंत्र से भी राज्य गठन के पश्चात् सबसे अधिक 207 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। समय के साथ विद्युत की बढ़ती मांग का सामना करने के लिए न केवल राज्य सरकार के अधीन कार्यरत पतरातू ताप ऊर्जा केन्द्र तथा तेनुघाट ताप ऊर्जा केन्द्र की क्षमता को बढ़ाने हेतु जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण की योजना है, बल्कि केन्द्र सरकार के लोक उपक्रमों जैसे डी.वी.सी. एवं एन.टी.पी.सी. तथा

निजी क्षेत्र के उद्यमियों को भी झारखण्ड में ताप विद्युत संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में, राज्य प्रक्षेत्र में 2,000 मेगावाट, केन्द्रीय प्रक्षेत्र में 3,000 मेगावाट एवं निजी प्रक्षेत्र में 4,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता झारखण्ड में स्थापित करने के प्रति हम आशान्वित हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्र का तीसरा 4,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार द्वारा हजारीबाग जिले के बरही प्रखण्ड में स्थापित करने का निर्णय़ लिया गया है। सरायकेला जिला के कान्ड्रा में आधुनिक थर्मल एनर्जी लिमिटेड द्वारा 270 मेगावाट उत्पादन क्षमता का विद्युत ताप यंत्र लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। टाटा पावर एवं डी.वी.सी. की साझेदारी में धनबाद जिले के मैथन में 1,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का पावर प्लांट लगाने हेतु शिलान्यास किया गया जिसका कार्य प्रारम्भ हो चुका है। लातेहार जिले में भी अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। इस प्रकार निश्चित रूप से निकट भविष्य में सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य एक पावर हब के रूप में उभरेगा।

13. ग्रामीण विद्युतीकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के सभी ग्रामों का 2009 तक विद्युतीकरण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन लगभग 20,000 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 108 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए 2,700 करोड़ रुपये की परियोजना भारत सरकार को समर्पित की गयी है, जिसके विरुद्ध 11 जिलों के लिए लगभग 1,100 करोड़ रुपये की स्वीकृति हमें प्राप्त हो गयी है। दूर दराज के ग्रामों में हम गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं। वर्ष 2006-07 में 224 ग्रामों

को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जायेगा एवं साथ-साथ 52,000 सोलर लालटेन, 1,775 सोलर घरेलू लाईट एवं 3,000 सोलर लाईट का भी अधिष्ठापन होगा।

14. चाईबासा में 220/132/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन में 400 एम.वी.ए. तथा राँची, मनोहरपुर, मानगो (जमशेदपुर), सिमडेगा, रामचन्द्रपुर एवं मधुपुर के 132/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन में 1,340 एम.वी.ए. क्षमता विस्तारीकरण का कार्य किया जायेगा।

15. विद्युत संचरण क्षमता विस्तार के लिए 487 करोड़ रु. की योजना को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है जिसके अन्तर्गत पूरे राज्य में 220/132 के.वी. की लगभग 1,674 डबल सर्किट किलो मीटर संचरण लाईट का निर्माण कराया जायेगा।

16. आप जानते हैं कि झारखण्ड की अधिकांश जनता आज भी गाँवों में रहती है जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। गाँवों के समेकित विकास के बिना जनआकांक्षाएँ पूरी नहीं हो सकती हैं। गाँवों एवं ग्रामीणों के चहुँमुखी विकास के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं की काफी कमी है। मेरी सरकार द्वारा गाँवों में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी मजदूरी परक योजनाएँ एवं स्वरोजगार योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनका मूल उद्देश्य ग्रामीणों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन-स्तर को सुधारने तथा उन्हें आवासन की सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

17. रोजगार मूलक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी के रूप में नगद राशि एवं अनाज दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में लगभग

31 करोड़ रु. व्यय कर **27 लाख** मानव दिवस का सृजन किया गया है और 5,072 योजनाएँ पूरी की गई हैं।

18. इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्धन ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध राशि 11,828 लाख रुपये के विरुद्ध 8,698 लाख रु. का व्यय कर 26,026 आवासों का नवनिर्माण एवं 11,145 आवासों का उन्नयन किया गया है।

19. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले ग्रामीणों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर रोजगार मुहैया कराया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध राशि 5,439 लाख रुपये के विरुद्ध 4,558 लाख रुपये व्यय किये गये हैं जिससे 8,009 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 16,933 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों एवं 36,911 स्वयं सहायता समूह स्वरोजगारियों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं।

20. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीणों के विकास एवं गाँवों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र विशेष में आधारभूत संरचना के विकास से संबद्ध कार्यों, परियोजनाओं में मजदूरीपरक रोजगार के अवसर सृजित कर ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षा में अभिवृद्धि करना है। कार्यों, परियोजनाओं का चयन ऐसा होगा जिससे दीर्घस्थायी गरीबी के कारकों यथा सुखाड़, वनों की कटाई, मृदाक्षरण को रोका जा सके। इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण परिवारों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी अकुशल, कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कुल 100 दिनों की रोजगार की गारंटी परिवार को इकाई मानकर दी जायेगी।

राज्य के 20 जिले इस योजना से आच्छादित हैं और शेष दो जिलों देवघर एवं जमशेदपुर में राज्य योजना मद की राशि से **नरेगा** के तर्ज पर ही लाभुकों को लाभ पहुँचाने हेतु योजना चलायी जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग **483 करोड़** रुपये का व्यय कर 21,000 योजनायें पूरी की जा चुकी हैं और **4 लाख** मानव दिवस का सृजन हुआ है। राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् का गठन कर लिया गया है एवं इसके सफल कार्यान्वयन हेतु जिला से पंचायत स्तर तक 5,530 पदों का सृजन किया गया है। इसके तहत् प्रत्येक प्रखंड में दो कार्यक्रम कार्यान्वयन पदाधिकारी तथा प्रत्येक पंचायत में एक नियोजन सेवक होंगे। बेरोजगारी को दूर करने तथा नरेगा को गति प्रदान करने के लिए इन पदों पर स्थानीय बेरोजगार युवकों को नियुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

21. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में लगभग **35 करोड़** रुपये व्यय कर 31 पुल–पुलिया परियोजनाओं को पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सुदूर गाँवों की 1,000 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े गाँवों को प्राथमिकता के आधार पर पक्की सड़कों द्वारा मुख्य पथों से जोड़े जाने का लक्ष्य है। इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं विश्व बैंक संपोषित (Tranche-I) तथा चतुर्थ चरणों के अन्तर्गत 665 करोड़ रु. की लागत से कुल 628 पथ योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, जिनमें से 464 पथ योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं एवं शेष में कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 571 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं, जिसके विरूद्ध 449 करोड़ रु. की राशि व्यय की जा चुकी है। राज्य के एक महत्वपूर्ण पथ हाटगम्हरिया से जगन्नाथपुर–नोवामुंडी–बड़ाजामदा–बरायबुरू तक के पथ के पुनः निर्माण हेतु 142 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई है। इस पथ के लिए निविदा का निष्पादन कर लिया गया है तथा कार्य

भी प्रारम्भ कर दिया गया है। रिंग रोड योजना को शीघ्र प्रारम्भ करने का सरकार विचार रखती है। बरही से बहरागोड़ा के राष्ट्रीय उच्च पथ को चार लेन करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

22. राज्य सम्पोषित योजना के अन्तर्गत माह जनवरी 2007 तक 1,384 पथ योजना एवं 84 पुल योजनाएँ चयनित हैं। इसके अन्तर्गत 4,445 किलोमीटर पथ एवं 4,928 मीटर पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन योजनाओं पर अब तक 964 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

23. राज्य को खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी एवं व्यवहारिक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। विभिन्न फसलों के लिए प्रमाणित बीज की आपूर्ति तथा कृषि में वैज्ञानिक तकनीक का प्रचार–प्रसार कर राज्य में खरीफ तथा रबी मौसम के फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाये गये हैं।

24. राज्य में किसानों के पास उपलब्ध बीज के बदले उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने की योजना चालू की गई है। 1999–2000 में यहाँ बीज प्रतिस्थापन का अनुपात नगण्य था जो वर्तमान में बढ़कर करीब 7 प्रतिशत हो गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक 99,888 क्विंटल उन्नत किस्म के बीज वितरित किए गए हैं।

25. वर्षा आधारित खेती के माध्यम से धान की खेती पर निर्भर कृषकों को दलहन तथा तेलहन की खेती के लिए अधिक प्रेरित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप झारखण्ड राज्य का आच्छादित क्षेत्र 2.70 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 4.0 लाख हेक्टेयर हो गया है।

26. कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अभी तक अनुदानित दर पर 1887 पावर टिलर्स, छोटे ट्रैक्टर एवं पावर रीपर्स कृषकों और कृषक समूहों को उपलब्ध कराए गए हैं।

22 कृषि प्रक्षेत्रों एवं बीज ग्रामों में प्रत्यक्षण हेतु कम्बाइण्ड हार्वेस्टर्स तथा **पेडी ट्रांसप्लांटर, बीज** संयंत्र की स्थापना की गई है।

27. राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में भारत सरकार की संस्था द्वारा मिट्टी की जाँच कराई गई है एवं तदनुसार स्वायल मैप बनाया गया है जिसके आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के आम्लिक मिट्टी का सुधार तथा किसानों को स्वायल प्रोफाइल कार्ड देने की योजना है। राज्य के सभी 22 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की कार्रवाई की गई है। उन्नत बीज के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए झारखण्ड राज्य में 9 बीज ग्रामों की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से 37,000 क्विंटल उन्नत किस्म के प्रमाणित धान बीज उपलब्ध कराए गए हैं तथा आगामी वर्षों में 17 बीज ग्रामों की स्थापना का प्रस्ताव है।

28. राज्य में फूलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु फ्लोरेंस फ्लोरा नामक ख्याति प्राप्त संस्था से इकरारनामा किया गया है तथा उनके द्वारा 5 जिलों में कार्य प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय बागवनी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के दस जिलों यथा राँची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावां, दुमका, देवघर, हजारीबाग एवं चतरा में फल उत्पादन, फूल उत्पादन, सुगंधित पौधों का उत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि कार्यक्रम 10 लीड गैर सरकारी संस्था के माध्यम से शुरू कराया गया है।

29. कृषि कार्यों में रूचि को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के तीन प्रगतिशील कृषकों को क्रमशः 5 लाख, 3 लाख तथा 2 लाख रु. की राशि से पुरस्कृत किया गया है। राज्य के 22 जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान का गठन किया गया है। राज्य में भू एवं जल संरक्षण के माध्यम से 200 अनुजलछाजन क्षेत्रों का प्रबंधन कार्य प्रगति पर है, जिसके माध्यम से 8,000 एकड़ भूमि में एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जा रहा है।

30. मेरी सरकार सहकारिता के आधार पर राज्य की ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था को विकसित कर किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर उन्हें स्वावलम्बी, सक्षम एवं सुदृढ़ बनाने के लिये कृत संकल्प है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किसानों के हित संवर्द्धन हेतु खरीफ फसल के कुल 11.71 लाख किसानों के 4,24,464 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसलों का लगभग 215 करोड़ रुपये का बीमा कराया गया है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य के कुल 5,94,813 किसानों को लगभग 105 करोड़ रुपये की फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। रबी 2006-07 की फसल हेतु कुल 22,041 किसानों के लिये लगभग 267 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति स्वीकृति की गई है। जंगल में पाए जाने वाले वन उपज को समर्थन मूल्य देकर उनके क्रय विक्रय को सुगम करने तथा बिचौलियों से बचाव हेतु राज्य स्तर पर झामकोफेड का गठन किया गया है जिससे वन अंचल में रहने वाले गरीब एवं मजदूरों को वन उपज का उचित मूल्य मिल सके ताकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और बेरोजगारी में कमी आ सके।

31. सरकार द्वारा राज्य के किसानों को लैम्पस, पैक्स, व्यापार मंडल के माध्यम से कुल 17,000 मीट्रिक टन रसायनिक उर्वरक एवं 15,000 क्विंटल उन्नतशील धान बीज की आपूर्ति उचित मूल्य पर की गई है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वित्तीय सहायता से वेजफेड द्वारा सब्जी के आहरण एवं भंडारण हेतु कुल 2.65 करोड़ रुपये की लागत से पाँच हजार मीट्रिक टन क्षमता का एक शीत गृह का निर्माण राँची जिले के कांके प्रखण्ड में कराया जा रहा है।

32. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वित्तीय सहयोग से हजारीबाग, दुमका एवं देवघर जिले में कुल 15.91 करोड़ रुपये की समेकित सहकारी विकास परियोजना शुरू की गई है। गढ़वा, लातेहार

एवं गिरिडीह जिले में इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त राज्य के पाँच और जिलों यथा साहेबगंज, गोड्डा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम एवं लोहरदगा का चयन किया गया है, जिनके लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जा रहा है।

33. दुधारू पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य योजना के अन्तर्गत 8.38 करोड़ रुपये की लागत से कुल 55 डेयरी कैटल डेवलपमेन्ट केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन बायफ डेवलपमेण्ट रिसर्च फाउन्डेशन द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 12,027 दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया है। इसके अतिरिक्त 35 बांझपन निवारण शिविर का आयोजन तथा 326 पशुपालकों को राज्य के बाहर परिभ्रमण कराया गया है।

34. ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन के माध्यम से पर्याप्त स्वरोजगार के अवसर सृजित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीणों को न्यूनतम पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से मेरी सरकार द्वारा चलाई जा रही व्यापक योजनाओं का यह प्रतिफल रहा है कि राज्य गठन के पश्चात् राज्य में दूध का उत्पादन 9.51 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 13.36 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अंडा उत्पादन 661 मिलियन से बढ़कर 706 मिलियन हो गया है।

35. केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दुधारू पशुओं को खिलाये जाने वाले सूखे चारे की पौष्टिकता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से शत्-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान पर राज्य के 30 हजार परिवारों के बीच सूखे चारे की यूरिया उपचार की योजना 132.16 लाख रु. की लागत पर कार्यान्वित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में राँची नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित 1,495 खटालों को नगरपालिका क्षेत्र के बाहर पुनर्वास हेतु योजना कार्यान्वित की जा रही है।

36. मछली का विकास एवं उत्पादन के द्वारा जहाँ एक ओर जन–साधारण को खाने में शुद्ध प्रोटीन एवं विटामिन युक्त भोजन मिलता है वहीं दूसरी ओर मत्स्य उत्पादन से आय की प्राप्ति एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 86,000 मीट्रिक टन मछली की माँग को पूरा करने तथा राज्य के प्रत्येक परिवार के अंतिम व्यक्ति तक इसे पहुँचाने का लक्ष्य है। राज्य में मत्स्य उत्पादन की सुविधा एवं गुणवत्ता का स्तर इतना समुन्नत किया जाना है कि मत्स्य उत्पादन का आंकड़ा 2,150 किलोग्राम/ हेक्टेयर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मानक के समकक्ष आ सके।

37. इस राज्य में लगभग 94,000 हेक्टेयर जलक्षेत्र है जिसमें लगभग 34,970 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन वित्तीय वर्ष 2005–06 में हुआ है और वित्तीय वर्ष 2006–07 में 55,000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य है। झारखण्ड राज्य गठन के उपरांत यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में सघन रूप से उपलब्ध जलाशयों में मत्स्य उत्पादन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर स्थानीय लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए उनके आर्थिक एवं सामाजिक दशा में सुधार लाने तथा औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार मछली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में मेरी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

38. झारखण्ड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 79.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से कुल 29.74 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। सरकार द्वारा वृहत सिंचाई योजनाओं से 19,880 हेक्टेयर, मध्यम सिंचाई योजनाओं से 1,89,580 हेक्टेयर एवं लघु सिंचाई योजनाओं से 2,34,179 हेक्टेयर अर्थात् कुल 4.4364 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई परिक्षेत्र में अन्य स्रोतों से भी सिंचन क्षमता सृजित है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित तृतीय लघु सिंचाई गणना के अनुसार अन्य स्रोतों से सृजित

सिंचन क्षमता 2,14,293 हेक्टेयर है। इस प्रकार अब तक कुल 6.579 लाख क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन किया जा चुका है, जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 22% है।

39. सुवर्णरेखा परियोजना के अन्तर्गत चांडिल बाँध का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अंशतः निर्मित नहर से वर्ष 06–07 में 1,395 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गई है। गालूडीह बराज निर्माण का कार्य जो वर्षों से बन्द पड़ा था, पुनः प्रारम्भ किया गया है एवं 18 में से 15 गेटों का अधिष्ठापन भी हो गया है। इस वर्ष भारत सरकार से वन भूमि अपयोजन संबंधी स्वीकृति प्राप्त कर चांडिल बायाँ मुख्य नहर के किलोमीटर 78.59 तक के कार्यों को पूर्ण करा लेने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य प्रगति पर है। अजय बराज योजना में बराज गेटों का अधिष्ठापन जो वर्षों से लम्बित था, पूर्ण हो चुका है और इस वर्ष 1,400 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। दो मध्यम सिंचाई योजना यथा धनसिंहटोली जलाशय योजना एवं कंसजोर जलाशय योजना को इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया है। धनसिंहटोली जलाशय योजना से 2,988 हेक्टेयर एवं कंसजोर जलाशय योजना से 5,870 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हो सकेगा।

40. वर्ष 2006–07 में लघु सिंचाई की विभिन्न 104 छोटी–छोटी योजनाएँ पूर्ण कर 4,863 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है तथा 16 पुरानी योजनाओं का पुनर्स्थापन कर 640 हेक्टेयर ह्रासित सिंचन क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य है। वर्ष 2005–06 में राज्य के सभी जिलों में 66 अदद् श्रृंखलाबद्ध चेक डैम के निर्माण की योजना दो वित्तीय वर्षों में पूर्ण करने के लक्ष्य के अंतर्गत आरम्भ किया गया है। इन योजनाओं में 65 योजना को वर्ष 2006–07 में पूर्ण कर 13,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जाना है। सभी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2005–06 में आरम्भ की गयी माइक्रोलिफ्ट योजना में से 1,031 एवं पूर्व

की 117 अर्थात कुल 1,148 योजना निर्माणाधीन है, इनसे 11,480 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन का लक्ष्य है।

41. वर्ष 2006–07 में नयी योजनान्तर्गत दो वित्तीय वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में पूर्ण की जाने वाली 84 अदद् श्रृंखलाबद्ध चेक डैम का कार्य आरम्भ किया गया है। इनमें 17 योजना राज्य के सुखाड़/उग्रवाद एवं शहरी क्षेत्रों में घटते भू–गर्भ स्तर के जल संवर्द्धन हेतु कर्णांकित है। इन योजनाओं से 3360 हेक्टेयर अतिरिक्त सृजन क्षमता का अनुमान है। राज्य के सभी प्रखण्डों में राजकोषीय अनुदान एवं अल्प लाभुक अंशदान पर आधारित 1,000 बड़े व्यास के कूप (प्रति प्रखण्ड 4 कूप) के निर्माण की योजना ली गई है। इन योजनाओं को वर्ष 2006–07 एवं 07–08 में पूर्ण किया जाना है।

42. राज्य के सुखाड़ क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुकरी जलाशय योजना, तिलैया जलाशय योजना, डोमनी नाला जलाशय योजना तथा कुल्हर जलाशय योजनाओं जैसी नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 10.81 हजार हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी। पुरानी सिंचाई योजनाओं के रूपांकित सृजन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इस वर्ष कार्रवाई की जा रही है।

43. किसी भी राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। मेरी सरकार राज्य में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में 2,650 किलोमीटर पथों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा 50 पुल योजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। संप्रति 1,000 किलोमीटर पथ एवं 20 अदद् पुल की योजनाएँ लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही हैं।

44. पर्यटन के महत्व के स्थलों को अच्छे एवं सुगम पथों से जोड़ने के अन्तर्गत झारखण्ड के पथों के उन्नयन के लिए लगभग 160 करोड़ की लागत से लगभग 320 किलो मीटर पथ एवं 7 अदद् पुल की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। सड़कों के विकास हेतु झारखण्ड पथ विकास निधि की स्थापना की जा रही है। पथों के संरक्षण एवं उत्तम रख–रखाव हेतु झारखण्ड हाई–वे ऐक्ट लागू किया गया है। झारखण्ड हाई–वे ऐक्ट हेतु झारखण्ड नियमावली तैयार की जा रही है। सड़कों के विकास हेतु राजकीय उच्च पथ प्राधिकार के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। राज्य निर्माण के पश्चात् राँची–खूँटी–चक्रधरपुर–चाईबासा–जैतगढ़ पथ को राष्ट्रीय उच्च पथ में शामिल करते हुए एन.एच.–75 विस्तार का नाम दिया गया है।

45. मेरी सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों को राजधानी राँची से दो लेन पथ द्वारा जोड़ने, सभी जिला मुख्यालयों को आपस में दो लेन पथ द्वारा जोड़ने, वाहनों के अधिक दबाव वाले पथों एवं महत्वपूर्ण पथों को चार लेन का बनाने, अन्तर्राज्यीय पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने, आर्थिक महत्व के सभी पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने, पुराने पुलों का पुनर्निर्माण करने तथा राजधानी राँची के पथों पर यातायात के दबाव को कम करने हेतु रिंग रोड का निर्माण करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

46. शुद्ध पेयजलापूर्ति, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, स्वजलधारा एवं विद्यालय स्वच्छता से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन निष्ठापूर्वक करते हुए मेरी सरकार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। परिवर्तित परिवेश में अब सामुदायिक सहभागिता पर आधारित जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया जा रहा है। स्वजलधारा अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के प्राक्कलित राशि का 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत खर्च ग्रामीण उपभोक्ता समिति द्वारा वहन किये

जाने के साथ–साथ योजना अनुरक्षण का दायित्व भी ग्रामीणों के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति गठित करते हुए नलकूप मरम्मति हेतु आवश्यक प्रशिक्षण मुहैया कराया जा रहा है ताकि मरम्मति कार्य ग्रामीणों द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा सके। राज्य के प्रत्येक गाँव में पाईप लाईन द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार कृतसंकल्प है ताकि शहर से गाँव तक सबको शुद्ध एवं स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके।

47. वर्ष 2006–07 में वन भूमि पर वृक्षारोपण संबंधी कुल 5 योजनाओं तथा पथतट वृक्षारोपण–सह–शहरी वानिकी की एक योजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है। इन योजनाओं के अन्तर्गत 24,338 हेक्टेयर वनों में वृक्षारोपण एवं 2,372 गैबियन वृक्षारोपण कार्य संपन्न किया जा चुका है। 73,636 हेक्टेयर वनों में वृक्षारोपण, 12.5 किलो मीटर लंबाई में पथतट वृक्षारोपण, 23,749 गैबियन वृक्षारोपण तथा 240 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थापित स्थाई पौधशालाओं का संपोषण कार्य प्रगति पर है। 25,715 हेक्टेयर वनों में वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त घोड़ाबन्दा में थीम पार्क, दुमका में 2 पार्क की स्थापना का प्रथम वर्ष का कार्य, राँची के आस–पास पहाड़ियों, राष्ट्रीय एवं राजकीय पथों के दोनों ओर पहाड़ियों को हरा–भरा करने का कार्य तथा राँची में बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना का प्रथम वर्ष का कार्य भी प्रगति पर है।

48. ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी वृक्षारोपण की योजनाओं में इंटरफेस कार्यों का समावेश किया गया है। इसके अन्तर्गत ग्रामीणों की सहमति से वित्तीय वर्ष 2005–06 तक इन्टरफेस कार्य के तहत् 650 तालाब, 531 चापाकल, 142 कुँआ, 10 जलमीनार, 50 पेयजलस्थल, 279 चेकडैम, 129 माइक्रोलिफ्ट, 24 स्प्रींकलर, 40 विद्यालय भवनों/ सामुदायिक भवनों का निर्माण, 15 यात्री शेड, 364 चबूतरों, 17 घाट एवं

85 ग्राम सड़क का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 162 तालाब, 19 चेकडैम एवं 88 कुँआ का जीर्णोद्धार, 10 जेनेरेटर 506 डीजल पम्प, 141 पत्तल प्लेट मशीन, 1,547 सोलर लैम्प/ स्ट्रीट लाईट, 632 वाटर फिल्टर, 61 धानदौनी मशीन, 4 छिड़काव मशीन एवं 81,969 फलदार पौधों का वितरण किया जा चुका है।

49. वर्ष 2007–08 में 25,715 हेक्टेयर वन भूमि पर कुल 4.094 करोड़ पौधों का रोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। संयुक्त वन प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुल 10,903 ग्राम वन समितियाँ गठित की गई हैं। समिति के माध्यम से कुल 21,860 वर्ग किलो मीटर वन क्षेत्रों का प्रबंधन एवं संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के आलोक में राज्य के 30 प्रादेशिक वन प्रमण्डलों तथा 4 वन्य प्राणी प्रमण्डलों में वन विकास अभिकरण गठित कर निबंधित किए गए हैं। 30 वन विकास अभिकरणों के भारत सरकार द्वारा वन विकास अभिकरण के लिए 56.319 करोड़ रु. की योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। स्वीकृत योजनान्तर्गत 39,850 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना है जिसके विरुद्ध 30,773 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है। वर्तमान में यह योजना 1,000 वन समितियों में लागू है।

50. वित्तीय वर्ष 2007–08 में समेकित वन एवं ग्राम विकास योजना, जो कि एक नई योजना है, को प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत वनों एवं उनके आस–पास के गाँवों के विकास के लिए माइक्रोप्लान में निहित अनुशंसाओं के अनुसार वनों का विकास तथा ग्राम विकास कराये जाने का प्रस्ताव है। प्रथम वर्ष में इस योजनान्तर्गत माइक्रोप्लान तैयार करने का कार्य किया जायेगा।

51. राज्य सरकार शहरी स्लम क्षेत्रों में रहनेवाले निर्धनों के लिए आवासों का निर्माण, शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, नागरिकों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु सड़कों

का निर्माण, स्वच्छता अधिष्ठापन हेतु नालियों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं सिवरेज प्रणाली का विकास, शहरी क्षेत्रों में पथ प्रकाश की व्यवस्था हेतु कृतसंकल्प है। साथ ही, शहरी निर्धनों को स्वरोजगार, शिशु एवं मातृत्व कल्याण एवं मजदूरों का नियोजन, ऑडिटोरियमों, टाउन हॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, सिटी सेन्टर, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, आर्टेरियल रोड, बस पड़ाव, पार्क आदि का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयासरत है। सफाई कर्मियों की मुक्ति का कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता सूची में है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में विभिन्न शहरी क्षेत्रों यथा, लघु शहरी क्षेत्र, परिवर्तनीय शहरी क्षेत्र एवं वृहत शहरी क्षेत्र की घोषणा, विभिन्न नगर निकायों का गठन अथवा पुनर्गठन किया जा रहा है। सभी शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव अतिशीघ्र कराने हेतु भी सरकार कृतसंकल्प है। राँची शहर में बढ़ती आबादी एवं घटती सुविधाओं के मद्देनजर सरकार राँची के विस्तार एवं विकास के लिए कृत संकल्प है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युअल मिशन योजना के तहत् राँची, जमशेदपुर तथा धनबाद शहरों के विकास की योजना स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजी जा चुकी है।

52. गत वर्ष दीनदयाल आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों को 2 लाख आवास उपलब्ध कराने हेतु हुडको से 500 करोड़ रु. राशि ऋण के रूप में लिया गया है, जिससे योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब तक लगभग 1,97,000 आवासों का निर्माण प्रारम्भ हुआ है जिसमें से 30,200 आवास पूर्ण हो गये हैं। भवनविहीन लोगों को सुन्दर स्वस्थ वातावरण से युक्त आवास उपलब्ध कराने हेतु सिद्धू–कान्हू आवास नामक नई योजना प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास ज्योति योजना का भी समावेश किया जायेगा जिसमें सिद्धू–कान्हू आवास योजना के लाभुकों को सरकार द्वारा एक–एक सोलर लालटेन उपलब्ध कराया जायेगा।

53 मेरी सरकार ने कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के कल्याण को अपनी विकास नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है। बच्चों, वृद्धों, महिलाओं एवं समाज के अशक्त व्यक्तियों के जीवनस्तर को उन्नत करने के प्रति मेरी सरकार गम्भीरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। महिलाओं की दक्षता एवं उद्यमिता के विकास हेतु प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। वृद्धाश्रम का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। स्वशक्ति परियोजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह बनाये गये हैं। महिलाओं के लिए संचालित इस आयोत्पादक योजना से काफी संख्या में महिलाएँ लाभान्वित हो रही हैं। राज्य में निवास कर रहे विभिन्न श्रेणियों के निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत लाभुकों को 200/– रु. प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जिलों को 49 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं उनके विकास के लिए राज्य सरकार वक्फ़ बोर्ड, हज कमिटी, मदरसा बोर्ड के गठन के प्रति संवेदनशील है। हज हाउस निर्माण हेतु राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध करा दी है जिसमें निर्माण कार्य जल्द ही प्रारम्भ किया जाएगा।

54. राज्य में बच्चों एवं महिलाओं के समग्र विकास के लिए समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत 24,417 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं और 6,683 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।

55. मेरी सरकार द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन के लिए दहेज उन्मूलन कार्यक्रम, अंतर्जातीय विवाह, डायन प्रथा का उन्मूलन, वृद्धा आश्रम के संचालन के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वशक्ति परियोजना, किशोरी शक्ति योजना प्राथमिकता पर चलाई जा रही

है। स्वशक्ति परियोजना के अंतर्गत 1,515 स्वयं सहायता समूह बनाये गये हैं जिनकी सदस्य संख्या 20,866 है। 12,413 महिलाएँ आयोत्पादक गतिविधियों में संलग्न हैं।

56. समाज के अति पिछड़े आदिम जनजाति के स्नातक उत्तीर्ण व्यक्तियों की तृतीय वर्ग के पदों पर सीधी नियुक्ति की गयी है। जनजाति समुदाय के विभिन्न मामलों पर विचार एवं अनुश्रवण आदि के लिए झारखण्ड राज्य जनजातीय आयोग के गठन की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। राज्य सरकार के प्रयास से प्रशिक्षित पायलटों की नियुक्ति विभिन्न सेवा विमान प्राधिकरणों में हो चुकी है। आप सब अवगत हैं कि लोकसभा तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु गठित परिसीमन आयोग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटों की संख्या 5 से घटकर 4 तथा झारखण्ड विधान सभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 28 से घट कर 21 होने जा रही है। इसी तरह झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना त्रुटिपूर्ण होने के फलस्वरूप राँची शहरी क्षेत्र सहित कई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों की सूची से बाहर हो गये हैं। इससे झारखण्ड राज्य के आदिवासी हितों को गहरी चोट पहुँची है। मेरी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। इन दोनों मुद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री, मंत्री आदिवासी कल्याण तथा विधि मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर आदिवासी हितों की रक्षा करने की दिशा में सार्थक पहल की गई। इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा किये गये प्रयास सफल हो रहे हैं।

57. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार में सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे सभी बच्चों को सामान्य रूप से बेहतर एवं व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त हो सके और वे अपनी प्रतिभा का उपयोग

कर राष्ट्र एवं राज्य के सर्वांगीण विकास में महती भूमिका निभा सकें। इसके अतिरिक्त राज्य में तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के साथ-साथ अधिक-से-अधिक तकनीकी विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ तकनीकी महाविद्यालयों की स्थापना निजी क्षेत्र के सहयोग से करने की भी कार्रवाई की जा रही है। राज्य में जनजातीय भाषाओं की समृद्धि एवं उसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये जनजातीय भाषा एकेडमी की स्थापना की कार्रवाई की जायेगी। अराजकीय प्रस्वीकृत वित्तीय सहायता प्राप्त मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 334 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें लगभग 6 करोड़ 70 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। साथ ही राज्य गठन के पूर्व के बकाए के भुगतान का भी निर्णय लिया गया है जिसमें लगभग 4 करोड़ 70 लाख रु. की राशि का भुगतान किया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षाकर्मियों की भी नियुक्ति करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में रिक्त पड़े शिक्षकों के सभी पदों को नियुक्ति द्वारा शीघ्र भरा जाना सरकार की प्राथमिकता है।

58. राज्य में सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय की स्थापना, मध्याह्न भोजन योजना, सामान्य एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने, मध्य विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमण, झारखण्ड शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना, वर्ग-8 तक के छात्राओं के बीच निःशुल्क साइकिल का वितरण राष्ट्रीय मानक के अनुरूप 620 माध्यमिक

विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में आधुनिक सुविधा से सुसज्जित करने जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई जा रही हैं। राज्य में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं उसका सुदृढ़ीकरण का कार्य विशेष रूप से किया जा रहा है जिससे विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में स्तरीय शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो रहा है।

59. सरकार का संकल्प है कि नवसृजित झारखण्ड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में त्वरित गति से प्रगति करे ताकि राज्य का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जा सके।

60. राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद की तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः इस वर्ष इस संस्थान के अधिनियम का निरूपण किया जाएगा एवं नियमावली बनाकर इसे एक मजबूत संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य में तकनीकी शिक्षा को सही दिशा प्राप्त हो सके।

61. झारखण्ड राज्य के गठन के बाद राजकीय क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व से स्थापित 12 पॉलिटेक्निक/ खनन संस्थानों में सुदृढ़ीकरण एवं गुणात्मक सुधार कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ किया गया है। सम्प्रति पॉलिटेक्निक तथा खनन संस्थानों में लगभग 1,200 की संख्या में प्रवेश क्षमता की वृद्धि करते हुए लगभग 3,000 छात्र/छात्राओं का नामांकन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस निमित्त संस्थानों में प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, नए पाठ्यक्रमों का समावेश, हॉस्टल एवं क्लास रूम का निर्माण एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन किया जा रहा है।

62. राज्य में राँची, हजारीबाग तथा मेदिनीनगर में स्थापित औद्योगिक विद्यालयों में महिलाओं को शिल्पकला, कुटीर उद्योग एवं कम्प्यूटर के बेसिक ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, ताकि प्रशिक्षित महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकें। राज्य सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में राज्य के दो

स्थानों जामताड़ा एवं चन्दनक्यारी (बोकारो) में महिला औद्योगिक विद्यालय स्थापित किया गया है। राज्य के अन्य 5 स्थानों यथा– घाटशिला, चतरा, चक्रधरपुर, राजमहल एवं गाण्डेय में सरकारी क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिससे इन क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप करीब 6,000 स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध हो सकेगा। राज्य में स्नातक स्तरीय अभियंत्रण पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तीन स्थानों यथा– रामगढ़, चाईबासा एवं दुमका में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, साथ ही देवघर में बी.आई.टी. मेसरा एवं सरकार के संयुक्त सहयोग से अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। रामगढ़ और चाईबासा में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया जा चुका है।

63. सरकारी क्षेत्र में आठ नये पॉलिटेक्निक संस्थानों यथा– जगन्नाथपुर (प. सिंहभूम), मेदिनीनगर, बहरागोड़ा (पू. सिंहभूम), गुमला, महेशपुर (पाकुड़), रामगढ़ (हजारीबाग), चाण्डिल (सरायकेला–खरसावां) तथा सिल्ली (राँची) में स्थापना प्रस्तावित है।

64. भारत सरकार की वाह्य संपोषित तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चार तकनीकी शिक्षण संस्थानों यथा बी.आई.टी. सिन्दरी, बी.आई.टी. मेसरा, राजकीय पोलिटेकनिक, राँची एवं राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका का चयन किया गया है।

65. राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। राज्य में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की कमी को देखते हुए संयुक्त क्षेत्र में राज्य में नये तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित किये जायेंगे।

संयुक्त क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों यथा NIFFT, SAIL आदि के सहयोग से अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने पलामू जिला के विश्रामपुर एवं गढ़वा सहित कुल पाँच अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने हेतु अनुमति प्रदान की है, जिसमें विश्रामपुर में अभियंत्रण महाविद्यालय का शिलान्यास किया जा चुका है तथा कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

66. झारनेट परियोजना के अन्तर्गत राज्य में एक सुदृढ़ सूचना एवं संचारतंत्र राज्य से प्रखण्ड स्तर तक स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है।

67. सरकारी कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रयोग में दक्ष बनाने हेतु राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न स्तर का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा। आगामी वर्ष में आई.टी. भवन एवं एक Indian Institute of Information Technology संस्थान स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

68. राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं राज्य मुख्यालय में सभी मंत्रियों एवं सचिवों के कार्यालय कक्ष में विडियो कॉफ्रेंसिंग सिस्टम अधिष्ठापित किया गया है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री/ मंत्री अथवा सचिव स्तर के पदाधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष के द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा आसानी से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष राज्य के सभी प्रमण्डलीय कार्यालयों एवं दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त के कार्यालय कक्ष में भी Conferencing System की स्थापना की जा रही है। जेलों एवं जिला सत्र न्यायालयों के बीच में Video Conferencing System को अधिष्ठापित किया गया है, जिसके माध्यम से जेलों में रह रहे विचाराधीन कैदियों को अब न्यायालय में स–शरीर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। मजिस्ट्रेट, Video Conferencing के माध्यम से ही कैदियों की उपस्थिति दर्ज कर

सकते हैं। यह प्रणाली वर्तमान में राँची एवं हजारीबाग में कार्यान्वित है तथा राज्य के सभी जिलों में मार्च, 2007 तक यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

69. राज्य के बेरोजगारों को नियोजन सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में नियोजनालय की सेवा उपलब्ध है। बदले हुए सामाजिक परिवेश तथा नियोजनालय के कार्यों में एकरूपता तथा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियोजनालयों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने की कार्रवाई की जा रही है तथा वेबसाइट विकसित कर बेरोजगारों को ऑनलाईन निबंधन/नवीकरण मुहैया करने का विचार है।

70. समाज के कमजोर वर्गों यथा महिला/विकलांग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगारों को प्रभावकारी नियोजन सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राँची, जमशेदपुर एवं बोकारो स्टील सिटी में एक-एक विकलांगों के विशेष नियोजनालय की स्थापना की गई है। राँची में महिलाओं के लिये विशेष नियोजनालय तथा दुमका में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिये एक-एक विशेष नियोजनालय स्थापित किया जा चुका है।

71. मेरी सरकार अपने सामाजिक दायित्व के प्रति काफी संवेदनशील है और इस महती दायित्व के निर्वहन के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, बंधुआ मजदूर एवं पुनर्वास योजना, निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना जैसी योजनाएँ पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ चलाई जा रही हैं। साथ ही झारखण्ड राज्य में वर्तमान में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए.पी.एल. योजना, बी.पी.एल. योजना एवं अंत्योदय अन्न योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। ए.पी.एल. योजना गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए बी.पी.एल. योजना गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए एवं अंत्योदय अन्न योजना गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में से निर्धनतम परिवारों के लिए है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना अन्नपूर्णा योजना है। इसमें

वृद्ध एवं असहाय लोगों को प्रति माह 10 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवारों को अनुदानित दर पर 2 किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति की जाती है। राज्य के सभी 22 जिलों में बी.पी.एल. सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इन परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड का वितरण शीघ्र सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

72. झारखण्ड राज्य में खनिज एवं वन संपदाओं की अकूत उपलब्धता के बावजूद आज भी यहाँ अधिकतर ग्रामीण आबादी कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य छोटे–छोटे कार्यों के सहारे ही जीवन–यापन करती है। उल्लेखनीय है कि कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य आर्थिक गतिविधियाँ सीधे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। इस हेतु झारखण्ड राज्य में पूर्व से ही भूमि से संबंधित विशेष कानून यथा, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम/ संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम लागू हैं। उक्त कानून के आलोक में सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रमों द्वारा राज्य की जनता के विकास हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित किया है एवं इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाया गया है। भूमि सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निष्ठापूर्वक/समय–सीमा के अंदर सुनिश्चित कराकर गरीबों, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सीलिंग से प्राप्त अधिशेष भूमि का वितरण करने, सरकारी गैर मजरूआ भूमि की बंदोबस्ती, भूदान भूमि का वितरण, गृहविहीनों के बीच गृह स्थल वितरण, आदिवासियों की जमीन से गैर कानूनी ढंग से बेदखली को रोकने एवं गैर कानूनी रूप से बेदखल जमीन की वापसी, सरकारी भूमि का अतिक्रमण हटाने आदि भूमि सुधार कार्यक्रमों को अभियान चलाकर कार्यान्वित करने का सरकार ने निर्णय लिया है।

73. वित्तीय वर्ष 2006–07 में दिसम्बर, 2006 तक आदिवासियों की अंतरित भूमि के कुल 5,382 मामलों में से 1,362 मामले निष्पादित हुए। स्वीकृत 1079 मामलों में से 440 मामलों में दखल दिहानी दिलाया गया है। कुल 4,020 वाद लंबित हैं, इसके शीघ्र निष्पादन हेतु उपायुक्तों को निदेश दिया गया है।

74. झारखण्ड देश का पहला राज्य है, जहाँ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलायी जा रही है। इस योजना के तहत निर्धनतम परिवारों को उनकी कन्याओं की शादी के अवसर पर 10,000/– रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे सूदखोरों/महाजनों के चंगुल में न फँसें। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 10,000 निर्धन कन्याओं की शादी हेतु सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अब तक 5,807 निर्धन कन्याओं की शादी के अवसर पर उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में कुल 580.70 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया है।

75. राष्ट्रीय सम विकास योजना, राज्य के अंतर्गत अति पिछड़े क्षेत्रों में असंतुलन को कम करने, विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित 16 जिलों को 1500 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से तीन वर्षों में 45 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी। इसके तहत उग्रवाद प्रभावित एवं पिछड़े जिलों में सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आय वृद्धि क्षेत्रों में लगभग 14,547 योजनाएँ ली गयी हैं। 7,029 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

76. राज्य में वर्षों से प्रचलित बिक्री कर प्रणाली को निरसित कर दिनांक 01.04.2006 से मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली (VAT) लागू कर दिया गया है। राज्य में मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली का क्रियान्वयन सफल एवं संतोषप्रद रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2006–07 के दरम्यान संग्रहित

राजस्व संग्रहण की प्रवृत्ति से परिलक्षित हो रहा है। उक्त प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा कर संग्रहण के विभिन्न घटकों यथा – विभिन्न व्यवसायिक संगठनों/घरानों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज/ बार एसोसियेशन/ विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ विभिन्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करने हेतु कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण सत्र संचालित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसायियों के मध्य समाचार पत्रों के माध्यम से इसके प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है। उक्त सभी उपायों का समवेत प्रभाव, मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के सफल क्रियान्वयन में परिलक्षित हो रहा है।

77. उग्रवाद राज्य की एक गंभीर समस्या है। मेरी सरकार इसका स्थाई समाधान करने हेतु गंभीर एवं सार्थक प्रयास कर रही है। पुलिस प्रशासन को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है तथा ग्रामीणों में उग्रवाद के विरुद्ध आत्म विश्वास पैदा किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में पुलिस के आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिये लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय कर बहुत सारी योजनायें प्राथमिकता के आधार पर चलाई जा रही हैं। प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिये हजारीबाग में **'स्कूल ऑफ जंगल वार फेयर'** का निर्माण कराया जा रहा है। 37 उग्रवाद प्रभावित थाना भवनों का निर्माण, राज्य के 30 प्रतिशत थानों में कॉमन इंटिग्रेटेड पुलिस एप्लिकेशन (सीपा) का क्रियान्वयन के साथ ही राज्य के सभी जिलों में स्थापित कम्पोजिट कंट्रोल रूम के संचालन के लिए पुलिस पदाधिकारियों, सशस्त्र और लाठी बल के कुल 534 पदों का सृजन किया गया है। उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस वर्ष 1,830 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अलावे 4000 सिपाहियों एवं 250 अवर निरीक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

78. मेरी सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की दिशा में भी प्रयास कर रही है। महिला अत्याचार के मामलों में शीघ्रता से कार्रवाई करने हेतु प्रत्येक जिले के एक थाने में महिला–डेस्क अधिसूचित किया गया है। स्थानीय स्तर पर हुए छोटे–मोटे विवादों को आपसी समझदारी से सुलझाने हेतु राज्य के थानों में गैर सरकारी संस्थाओं एवं आम लोगों की एक समिति बनाई गयी है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

79. राँची, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, मेदिनीनगर तथा चाईबासा में महिला कैदियों के लिये अलग–अलग **10 शैय्या वाले जेल अस्पताल** का निर्माण कराया जाना है। जेलों में कैदियों को उच्च शिक्षा हेतु शैक्षणिक सुविधाएँ राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेंगी।

80. राज्य की जनता को सहज, सुलभ एवं विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना मेरी सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र से लेकर चिकित्सा महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ–साथ देशी चिकित्सकों की भी नियुक्ति अनुबंध पर की जा रही है, ताकि चिकित्सा सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो सके।

81. राज्य को **'स्वस्थ झारखण्ड–खुशहाल झारखण्ड'** बनाना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यक्ष्मा, अंधापन, कुष्ठ रोग, मलेरिया, पोलियो एवं एड्स आदि के उन्मूलन के लिए व्यापक रूप से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वस्तुतः मेरी सरकार की यह भावना है कि हम स्वास्थ्य सेवा को अपनी जनता के द्वार तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से गाँव–गाँव जाकर

5 वर्ष तक के बच्चों को आवश्यक दवा का खुराक एवं गर्भवती महिलाओं तथा धातृमाताओं को विटामिन, आयरन आदि की दवायें मुफ्त दी जा रही है। मलेरिया एवं यक्ष्मा रोग की पहचान हेतु आवश्यक संरक्षण रक्त पट का संग्रह एवं जाँच कर रोगियों की पहचान की जा रही है और उनका आवश्यक उपचार किया जा रहा है। कैच–अप राउंड कार्यक्रम से अब तक करीब 22 लाख बच्चों एवं 10 लाख गर्भवती महिलाओं को यूनिसेफ, यू.एस.ऐड एवं मोस्ट जैसी संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से लाभ पहुँचाया गया है।

82. स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास जमीन पर नजर आने लगे हैं। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में झारखण्ड राज्य को शिशु मृत्यु दर नियंत्रण के मामले में **सातवाँ स्थान**, पोलियो टीकाकरण में **नवाँ स्थान**, डिस्पोजेबिल सिरिंज उपयोग में **चौथा स्थान** तथा विटामिन 'ए' के उपयोग में **तीसरा स्थान** प्राप्त हुआ है। गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे 1,600 लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 16.08 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

83. अभी हाल में असम में हुए राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने सभी क्षेत्रों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है, यह हमारे लिये फ़ख्र की बात है। मैं सभी खिलाड़ियों को इसके लिये बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अपने राज्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल, 2007 में इनका प्रदर्शन और भी बेहतर होगा और ये राज्य का नाम रौशन करेंगे।

84. मेरी सरकार इस बात से पूर्णतः सहमत है कि कुशल और प्रभावी प्रशासनिक संस्थाएँ तीव्र आर्थिक विकास की कुंजियाँ होती हैं, गुणात्मक सामाजिक परिवर्तन की संवाहक होती हैं।

प्रशासनिक संस्थाएँ कुशल एवं प्रभावी हों, इसके लिये इन्हें पारदर्शी, क्रियाशील, जवाबदेहपूर्ण तथा संवेदनशील बनाया जा रहा है। इस क्रम में राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाया गया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये निगरानी तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने हेतु **प्रत्येक जिले में निगरानी कोषांग का शीघ्र गठन किया जाएगा।**

85. अंत में मैं कहना चाहूँगा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और मेरी इस गरिमामय सदन के सभी सदस्यों से गुजारिश है कि आप सभी दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर राज्य के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लें। हमें अपनी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये पूरी तत्परता एवं समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आइये हम सब मिलकर एक समुन्नत एवं समृद्ध झारखण्ड का निर्माण करें।

जय हिन्द !